SHODH PATRA
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
ISSN: 3048-7196, Impact Factor 6.3
Vol. 2, No. 1, Year 2025
Available online : https://shodhpatra.in/

महिला सशक्तिकरण: हरियाणा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का प्रभाव और योगदान

Rajesh Kumar, Assistant Professor, Department of Commerce, Govt. College Bhattu Kalan, Fatehabad, Haryana

Dr. Ravinder Kumar, Assistant Professor, Physical Education, Govt. College, Bhattu Kalan, Fatehabad, Haryana

शोध सारांश

महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य है जो समाज में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जरूरी है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की है, जिनका उद्देश्य महिलाओं को समान अवसर, शिक्षा, स्वास्थ सेवाएं, आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करना है। इस शोध पत्र में हरियाणा सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं जैसे 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', 'महिला शक्ति योजना', 'लाडली योजना', और 'मुख्यमंत्री महिला उद्धार योजना' का विश्लेषण किया गया है। इन योजनाओं का प्रभाव महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक, और आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाला है और उनके जीवन स्तर में हुए सुधार का मूल्यांकन किया गया है। यह अध्ययन यह भी दर्शाता है कि इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और प्रयासों का क्या प्रभाव रहा है, और किस प्रकार यह योजनाएं महिला सशक्तिकरण की दिशा में योगदान दे रही हैं।

संकेत शब्द

महिला सशक्तिकरण, हरियाणा सरकार, योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति योजना, लाडली योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्धार योजना, समाजिक सुधार, शैक्षिक अवसर, आर्थिक स्वतंत्रता, महिला सुरक्षा।

परिचय:

महिला सशक्तिकरण एक ऐसा शब्द है, जो महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उत्पन्न हुआ है। यह समाज में महिलाओं के लिए समान अवसर, अधिकार और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ न केवल महिलाओं को उनकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता देना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि वे

समाज के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। भारत के विभिन्न राज्यों में महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हरियाणा राज्य भी इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। हरियाणा में महिलाएं पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान समाज में अपने अधिकारों और अवसरों के लिए संघर्ष करती रही हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सशक्त बनाना है।

हरियाणा में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकारी योजनाएं:

हरियाणा राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया है। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और समाज में उनके योगदान को बढ़ावा देना है।

महिला हेल्पलाइन नंबर 181

महिला हेल्पलाइन का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे आपातकालीन सहायता और एकीकृत सेवा प्रदान करना है। यह हेल्पलाइन महिलाओं को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी भी देती है। 3 दिसंबर 2018 से हरियाणा में शुरू हुई यह सेवा हिंसा पीड़ित महिलाओं को पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल, और कानूनी सहायता से जोड़ती है। महिला पुलिस स्टेशन, सेक्टर 5, पंचकूला में महिला हेल्पलाइन 181 स्थापित की गई है। महिला हेल्पलाइन का स्टाफ कॉल के दौरान पीड़िता को पूरा सहयोग प्रदान करता है और समस्या के समाधान तक संपर्क में रहता है। यह योजना 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और कोविड-19 के दौरान भी सक्रिय रही। सखी डैशबोर्ड को नियमित रूप से कॉल-टू-कॉल आधार पर अपडेट किया जाता है।

उद्देश्य

- सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर महिलाओं को टेलीफोनिक शॉर्ट-कोड 181 के माध्यम से 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करना।
- पुलिस/अस्पताल/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए)/संरक्षण अधिकारी (पीओ)/वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) जैसी एजेंसियों की सुविधा प्रदान करना।
- महिलाओं को उपलब्ध सहायता सेवाओं, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करना।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से लिंगानुपात में सुधार लाना है। यह अभियान 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत में शुरू किया गया था। अभियान का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा और समानता को बढ़ावा देना है। यह अभियान विशेष रूप से हरियाणा जैसे राज्यों में शुरू हुआ था, जहां लिंगानुपात की स्थिति चिंताजनक थी। यह योजना पूरे देश में लागू है और इसका उद्देश्य लड़कियों को बराबरी का हक देना और उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। समुदाय, सामाजिक और गैर-सरकारी संगठनों के संचयी प्रयासों के परिणामस्वरूप, हरियाणा में लिंगानुपात पहली बार 900 के आंकड़े को पार कर गया है।

अभियान की सफलता के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किये प्रयास:-

हरियाणा में बालिकाओं के कल्याण के लिए कन्या कोष की स्थापना की गई और "आपकी बेटी हमारी बेटी" योजना लागू की गई। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति और बीपीएल परिवारों में जन्मी पहली लड़की और अन्य श्रेणी में जन्मी दूसरी लड़की के नाम पर LIC में ₹21,000 का निवेश किया जाता है, अब यह लाभ तीसरी लड़की तक बढ़ा दिया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें फरवरी 2025 तक तकरीबन 11 लाख खाते खोले गए। मुख्यमंत्री कार्यालय में बीबीबीपी सचिवालय की स्थापना की गई, जिसने जमीनी हकीकत जानने के लिए सभी जिलों में सबसे खराब लिंगानुपात वाले गांवों का दौरा किया और जिला प्रशासन को सुधारात्मक कदम सुझाए। लगभग 1,21,122 स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए गए, और 97.36% ग्राम पंचायतों में गुड्डा-गुड्डी बोर्ड प्रदर्शित किए गए। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर 10,945 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम-2013, मासिक धर्म स्वच्छता, लिंग आधारित हिंसा और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। 81 शुभंकर चिन्हित किए गए जिन्होंने सामाजिक कार्य, खेल, शैक्षिक आदि क्षेत्रों में असाधारण कौशल दिखाया। 70,883 हस्ताक्षर अभियान और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए गए। बालिकाओं के नाम पर वृक्षारोपण कार्यक्रम और 7207 फिल्म शो भी आयोजित किए गए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्य भर में सरकारी और निजी स्कूलों, रोडवेज की बसों पर लोगो प्रदर्शित किए गए। 80,000 गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी एसएमएस भेजे गए। करनाल में महिला ई-रिक्शा कार्यक्रम और रोहतक में 25 ई-रिक्शा शुरू किए गए। प्रोजेक्ट सखी के तहत स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें स्थापित की गईं। "आपकी बेटी हमारी बेटी" उत्सव में 4,98,583 बालिकाओं को सम्मानित किया गया। 21 जिला मुख्यालयों में महिला पुलिस थाने खोले गए हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्लू एंड एलएम) को परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए तीन किस्तों में 5000/- रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है, बशर्ते कि वे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित विशिष्ट शर्तों को पूरा करें। यह योजना 1.1.2017 से हरियाणा के सभी जिलों में लागू की गई है। पहले इस योजना को इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के रूप में जाना जाता था। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जिला पंचकूला में लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म से पूर्व और बाद में आराम देने के लिए मजदूरी की हानि का आंशिक मुआवजा प्रदान करना है। लाभार्थियों को पंजीकरण और किस्त के दावे के लिए निर्धारित योजना फॉर्म भरकर आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य सुविधा में जमा करना होता है। 2018 में यमुनानगर और पंचकूला जिलों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। हरियाणा को वर्ष 2019-20 के लिए 3 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा पुरस्कार दिया गया है। अप्रैल, 2017 से मार्च, 2023 तक 148283 लाभार्थियों को 72.86 करोड़ रुपये के व्यय के साथ कवर किया गया है। अप्रैल, 2023 से सितंबर, 2024 तक, 24.79 करोड़ रुपये के व्यय के साथ 79645 पात्र लाभार्थियों को पीएमएमवीवाई पोर्टल 2.0 के तहत कवर/लाभ दिया गया है।

सुकन्या समृद्धि खाता

भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी, 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर "सुकन्या समृद्धि खाता" योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य समाज में लैंगिक असंतुलन को दूर करना और बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच बदलना है। इस योजना के तहत बालिका के जन्म से लेकर उसके 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक खाता खोला जा सकता है। खाता 1000/- रुपये की राशि से खोला जा सकता है और एक वित्तीय वर्ष में निवेश की अधिकतम सीमा 1,50,000/- रुपये है। हरियाणा में "सुकन्या समृद्धि खाता" योजना के तहत 28.02.2025 तक डाकघरों व बैंकों में 1177844 खाते खोले जा चुके हैं।

महिलाओं के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार

इन पुरस्कारों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को मान्यता प्रदान करना ताकि वे महिलाओं की भावी पीढ़ी के लिए आदर्श बन सकें। यह भारतीय समाज में महिलाओं की बहुमुखी भूमिका को स्वीकार करने और प्रोत्साहित करने के लिए समाज की मानसिकता को बदलने में भी एक कारगर उपाय साबित होगा।

© Shodh Patra

इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार (पुरस्कार राशि 1.5 लाख)

इस पुरस्कार का नाम देश की दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है और यह प्रतीकात्मक रूप से महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह राज्य स्तरीय पुरस्कार उन महिलाओं को दिया जाएगा जो निस्वार्थ और समर्पित भाव के माध्यम से शीर्ष स्तर पर पहुंची हैं और दूसरों के लिए रोल मॉडल बन गई हैं।

कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार (पुरस्कार राशि 1 लाख)

स्वर्गीय कल्पना चावला के नाम पर दिए गए इस पुरस्कार के तहत उन महिलाओं को उचित मान्यता दी जाएगी जो बहादुरी के कार्य करती हैं और सराहनीय सेवाएं देती हैं, ताकि अन्य महिलाएं उनके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित हों।

बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार (पुरस्कार राशि 1 लाख)

हरियाणा की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर यह पुरस्कार हरियाणा के गांवों में सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के उभरने को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया है।

लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार (पुरस्कार राशि 51 हजार)

60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं जो प्रशासनिक कौशल, करियर, कार्यक्षेत्र/पेशे, नेतृत्व क्षमता, साहस और रचनात्मक कार्य जैसे किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है।

श्रीमती सुषमा स्वराज पुरस्कार (पुरस्कार राशि 5.00 लाख)

वह महिला जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो या उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हों, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है।

महिला उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार (पुरस्कार राशि 21 हजार)

ए.एन.एम., नर्स, एम.पी.डब्ल्यू., खिलाड़ी महिलाएं, सरकारी कर्मचारी, साक्षर महिला समूह की सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला उद्यमी, ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू. आदि महिलाएं जिन्होंने कैलेंडर वर्ष में सराहनीय कार्य किया है, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है।

हरियाणा कन्या कोष

हरियाणा कन्या कोष की स्थापना बालिकाओं और महिलाओं के कल्याण एवं विकास के लिए की गई है, ताकि लड़कियों को समान अवसर मिल सके और उनका सशक्तिकरण हो सके। यह कोष व्यक्तियों और संस्थाओं से दान स्वीकार करने के लिए बनाया गया है, और दान की गई राशि धारा 12A के तहत आयकर से मुक्त है। दान को बैंक ऑफ इंडिया के खाता संख्या 671410110011021 में जमा किया जा सकता है। कोष का उपयोग "आपकी बेटी हमारी बेटी" योजना और अन्य महिला कल्याण परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। इस कोष के तहत दो समितियां गठित की गई हैं – राज्य स्तरीय गवर्निंगसमिति और कार्यकारी समिति। आयकर विभाग ने इस कोष को धारा 12AA के तहत "धर्मार्थ सोसायटी" के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया है। अक्टूबर 2024 तक इस कोष में जमा की गई ₹64.27 लाख में से ₹54.22 लाख का उपयोग किया जा चुका है।

मातृशक्ति उद्यमिता योजना

हरियाणा सरकार ने राज्य की उद्यमी महिलाओं को प्रेरित करने के लिए 'मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना' की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समाज में सम्मान को बढ़ाना है। योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण है। पहले इस योजना में सरकार केवल तीन लाख रुपये तक का ऋण देती थी, लेकिन 2024 से इसे बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। पात्र लाभार्थियों को 7% ब्याज दर की छूट दी जाएगी, जो तीन साल में ऋण लौटाने पर मिलेगी। इसके अतिरिक्त, लाभार्थी को किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं देनी होगी और तीन महीने की मोरेटोरियम अवधि भी दी जाएगी। राज्य के महिला विकास विभाग को इस योजना के सफल संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जो राज्य की स्थायी निवासी हैं, जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो और जिनकी सालाना पारिवारिक आय 5 लाख रुपये या उससे कम हो। इस योजना के तहत ऑटो रिक्शा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, थ्री व्हीलर, बुटीक, फूड स्टॉल जैसे विभिन्न व्यवसायों के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे : -

- उद्यमी महिलाओ को व्यवसाय स्थापित करने हेतु 5 लाख तक का ऋण।
- उपलब्ध ऋण 7% ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत मिलने वाले ऋण के बदले लाभार्थी को किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं देनी होगी।

- ऋण के साथ तीन महीने की मोरेटोरियम अवधि भी प्राप्त होगी।

Achievements:

Year	Total Applications Received	Total Sanctioned Cases	Total Disbursed Cases	Total Loan Amount (Rs.in Lakh)
2022-2023	1151	100	74	128.58
2023-2024	1669	387	362	740.94
Total	2820	487	436	869.52

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता

हरियाणा राज्य में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर जिन परिवारों में केवल लड़की/लड़कियां है, के लिए दिनांक 1-1-2006 से 'लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना' शुरू की गई है। प्रारम्भ में 300/-रू0 प्रतिमास प्रति परिवार पैंशन दी जाती थी । इस योजना के अन्तर्गत माता अथवा पिता के 45वें जन्मदिन से 15 वर्ष के लिए परिवार को पंजीकृत किया जाता है । माता अथवा पिता में से एक की मृत्यु होने पर दूसरा पार्टनर को इस योजना का लाभ दिया जाता है । दिनांक 1-4-2007 से सरकार द्वारा पैंशन की दर में 300/-रू0 से 500/-रू0 की वृद्धि की गई तथा पात्रता के लिए आयु सीमा 55 वर्ष से घटा कर 45 वर्ष की गई है । साल 2023 में यह 2750 रुपये थी, जो 2024 में बढ़कर 3000 रुपये महीना हो चुकी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए शर्त यह है कि परिवार में कोई बेटा नहीं होना चाहिए। हरियाणा के समाज कल्याण विभाग द्वारा इस योजना की शुरुआत की गयी थी।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना

यह योजना बालिकाओं के सम्मान तथा गरीब परिवारों, विधवा/निराश्रित महिलाओं की बेटियों, खिलाड़ियों तथा अनाथ बालिकाओं की शादी को सुनिश्चित करने के लिए क्रियान्वित की जा रही है। इस उद्देश्य से इस योजना के तहत हरियाणा के निवासिओं को अपनी बेटियों की शादी के लिए अनुदान दिया जाता है। विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित, अनाथ और निराश्रित बच्चों (जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष या उससे कम हो) के लिए शगुन की राशि 51,000 रुपये निर्धारित की गई है। एससी, डीटी और टपरीवास समुदाय के लिए, जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष या उससे कम है, शगुन की राशि 71,000 रुपये है। खिलाड़ी महिला (जो किसी भी जाति से संबंधित हों और जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष या उससे कम हो) को 41,000 रुपये का शगुन दिया जाएगा।

सभी वर्गों के परिवार, सामान्य और पिछड़ा वर्ग, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष या उससे कम हो, को भी 41,000 रुपये का शगुन मिलेगा। दिव्यांगजन के लिए, जिनके परिवार की आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष या उससे कम है, यदि नवविवाहित दंपति दोनों विकलांग हैं, तो उन्हें 51,000 रुपये का शगुन मिलेगा। यदि नवविवाहित दंपति में से एक पति या पत्नी विकलांग है, तो शगुन की राशि 41,000 रुपये होगी। हरियाणा में समाज के अन्य सभी वर्गों से संबंधित दंपतियों के लिए, जो उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते, यदि वे विवाह की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण कराते हैं, तो उन्हें 1,100 रुपये का शगुन और मिठाई का डिब्बा दिया जाएगा।

हरियाणा महिला समृद्धि योजना

हरियाणा राज्य की SC वर्ग की इच्छुक महिलाएं **हरियाणा महिला समृद्धि योजना** मे आवेदन कर अपने खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा 5% वार्षिक दर के हिसाब से 60 हज़ार रुपए तक का ऋण ले सकती है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (HSFDC) महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। हरियाणा समृद्धि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए महिला के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की ऐसी महिलाओ को ऋण प्रदान करना है जो अपने खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती है लेकिन अपनी स्थित खराब होने के कारण नही कर पा रही है। इस योजना मे मिलने वाले ऋण का उपयोग वह अपने व्यवसाय के लिए कर सकती है।

मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना

पंजीकृत महिला कामगारों के लिए शुरू की गई योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष उनकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय साड़ी, सूट, चप्पल, रेन-कोट, छाता, रब्बड़ मैट्रेस, कीचन के बर्तन एवं स्वास्थ्यप्रद नैपकीन आदि खरीदने के लिए बोर्ड द्वारा 5100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है।

विधवा पेंशन योजना

वर्ष 1980-81 में हरियाणा में विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को पैंशन योजना प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को, जोकि स्वयं अपने साधनों से आजीविका कमाने में असमर्थ हों तथा उन्हें राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पेंशन की दर, जोकि योजना के प्रारम्भ में 50/-रूपये प्रतिमास थी, समय-समय पर बढ़ाई गई। पेंशन की दर दिनांक 01.01.2020 से 2250/-रू0, दिनांक 01.04.2021 से 2500/-रू0 तथा दिनांक 01.01.2024 से 3000/-रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई है।

हरियाणा दुर्गाशक्ति वाहिनी/ छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना

इस योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई है। सरकार द्वारा इस योजना को आरंभ करने का मुख्य लक्ष्य महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकना है। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के खिलाफ अपराधों को कम करने के लिए हरियाणा दुर्गाशक्ति वाहिनी नामक एक विशेष कार्यबल का गठन किया गया है। इस योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता कि लड़कियां सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों पर यात्रा करते समय सुरक्षित महसूस करें। छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना में महिलाओं के खिलाफ अनैतिक व्यवहार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। इस योजना में छात्र परिवहन सुरक्षा योजना की टैगलाइन **""हरियाणा की शान, लड़का-लड़की एक समान""** है। छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना में प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लड़कियां सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और यात्रा के दौरान सुरक्षित महसूस कर सकें। यह योजना हरियाणा की महिलाओं के लिए काफी लाभकारी है जो उनको आत्मनिर्भर बनाने में भी कारगर साबित होगी।

आपकी बेटी हमारी बेटी

हरियाणा सरकार ने 24 अगस्त 2015 को महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत "आपकी बेटी हमारी बेटी" योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में बालिका लिंग अनुपात को सुधारना और लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना है। लाडली योजना को "आपकी बेटी हमारी बेटी योजना" में मिला दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत सभी अनुसूचित जाति एवं गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार जिनकी पहली लड़की 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद पैदा हुई है,अन्य सभी परिवार जिनके दूसरी लड़की 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद पैदा हुई है तथा तीसरी लड़की 24-08-2015 को या उसके बाद पैदा हुई है, चाहे उनकी जाति, पंथ, धर्म, आय और बेटों की संख्या कुछ भी हो, उन्हें 21000/- रुपये (एकमुश्त) मिलेंगे और इस राशि का निवेश भारतीय जीवन बीमा निगम, चंडीगढ़ की समूह योजना आपकी बेटी हमारी बेटी में निवेश की जायेगा तथा परिपक्व राशि लगभग 1,00,000/- रूपये लड़की को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर दी जाएगी बशर्ते वह उस समय अविवाहित हो। अक्टूबर 2024 तक इस योजना में 516290 लाभार्थियों को कवर किया जा चुका है। चालू वर्ष 2024-25 के बजट में 21500.00 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें से सितम्बर, 2024 माह तक 7473.88 लाख रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

- बालिका के जन्म के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदलना
- शिशु-लिंग अनुपात में सुधार

- स्कूलों में बालिका नामांकन और ठहराव में सुधार
- कम आयु में शादी की प्रवृत्ति पर रोक लगाना
- बालिकाओं के जीवन, स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देना

हर घर हर गृहिणी योजना

हर घर हर गृहिणी योजना की शुरुआत 12 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाली तीज के मौके पर की थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को सहायता प्रदान करना है। इसके तहत, बीपीएल कार्डधारी और अंत्योदय परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा और हर साल 12 सिलेंडर दिए जाएंगे। योजना का मुख्य लक्ष्य उन परिवारों को LPG गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है, जो अभी भी कोयला या लकड़ी से खाना पकाते हैं। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी। सरकार अतिरिक्त राशि परिवार की महिला सदस्य के बैंक खाते में ही ट्रांसफर करेगी।

हरियाणा लखपति दीदी योजना

हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना शुरू की है, जो केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के आधार पर लागू की गई है। यह योजना 15 अगस्त 2023 को शुरू करने की घोषणा की गई थी। योजना के तहत महिलाओं को **₹**1,00,000 से **₹**5,00,000 तक का ब्याज रहित ऋण मिलेगा। यह ऋण विशेष रूप से उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जो स्वयं सहायता समूह (Self-Help Groups) से जुड़ी हैं, ताकि वे छोटे या मध्यम व्यवसाय की शुरुआत या विस्तार कर सकें। इसके अलावा, महिलाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों जैसे ड्रोन रिपेयरिंग, एलईडी बल्ब निर्माण और प्लंबिंग में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें नए रोजगार अवसर मिलेंगे और क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त होगी। योजना का उद्देश्य पूरे भारत में लगभग 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना है।

हरियाणा लखपति दीदी योजना लक्ष्य और उद्देश्य

लखपति दीदी योजना का उद्देश्य हरियाणा की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। वर्ष 2024-25 में 1.79 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है।

लाडो लक्ष्मी योजना

हरियाणा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। **"लाडो लक्ष्मी योजना"** के तहत प्रदेश की महिलाओं को प्रति माह 2100/- की आर्थिक सहायता दी जाएगी,

SHODH PATRA
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
ISSN : 3048-7196, Impact Factor 6.3
Vol. 2, No. 1, Year 2025
Available online : https://shodhpatra.in/

जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता:

इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। उदाहरण के लिए, "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" योजना के हरियाणा में लिंग अनुपात में सुधार आया है। इसके अतिरिक्त सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को छोटे व मध्यम स्तर पर व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जो उनके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। इन योजनाओं और हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से महिलाओं को तुरंत मदद मिल रही है, चाहे वह हिंसा से बचाव हो या उनके सशक्तिकरण के लिए योजनाएं। खासकर महिला हेल्पलाइन नंबर- 181 और "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" जैसी योजनाएं, महिलाओं के लिए सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना और विधवा पेंशन जैसी योजनाएं महिलाओं को न केवल आर्थिक सहायता देती हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती हैं। इस तरह की योजनाएं समाज में महिलाओं के अधिकार और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं।

महिलाओं को सशक्त बनाने में चुनौतियाँ:

हालांकि हरियाणा में महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं, फिर भी कुछ चुनौतियां सामने आ रही हैं:

- **सामाजिक मानसिकता:** पारंपरिक समाज में महिलाओं के प्रति मानसिकता में बदलाव लाना एककठिन कार्य है। कई परिस्थितिओं में लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम आँका जाता है। उन्हें समान अवसर भी उपलब्ध नहीं हो पाते।
- **शिक्षा की कमी:** हरियाणा के कई क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा तक पहुँच के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं है। शिक्षा की कमी महिला सशक्तिकरण के मार्ग में सबसे बड़ी रूकावट है।
- **संवेदनशीलता की कमी:** हालांकि योजनाएं चल रही हैं, लेकिन कई बार महिला सुरक्षा और शिक्षा जैसे मुद्दों को लेकर समाज में संवेदनशीलता की कमी होती है, जिससे योजनाओं का पूरी तरह से कार्यान्वयन नही हो पाता और महिलांए इन योजनओं से मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाती हैं।
- **सामाजिक रूढ़िवादी सोच:** कुछ लोगोंकी रूढ़िवादी सोच भी महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती हैं। दहेज प्रथा, बाल विवाह और घरेलू हिंसा जैसी कई कुरीतियाँ हैं जो महिलाओं को हमेशा जकड़े रखती हैं।

 © Shodh Patra

- **आर्थिक असमानता:** कुछ ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के पास संसाधनों की कमी होती है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम आर्थिक अवसर मिलते हैं,जो उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाने में रुकावट डालती है।

निष्कर्ष:

हरियाणा राज्य ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और कई योजनाएं बनाई गयी हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। हालांकि कुछ चुनौतियां सामने आती हैं, लेकिन सरकार के प्रयासों से महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। भविष्य में इन योजनाओं का और भी प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन किया जा सकता है, ताकि राज्य में महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके।

संदर्भ सूची :

- https://haryanacmoffice.gov.in/hi/mahailaa-sasakataikarana
- https://navbharattimes.indiatimes.com/government-schemes/haryana-ladli-social-security-allowance-scheme#What%20is%20Haryana%20Ladli%20Scheme
- https://wcdhry.gov.in/schemes-for-women/
- https://www.drishtiias.com/hindi/state-pcs-current-affairs/haryana-matrashakti-entrepreneurship-scheme
- https://www.nsiindia.gov.in/writereaddata/FileUploads/Feb%2025%20Statewise%20SSA%20report.pdf
- https://www.jagran.com/haryana/panchkula-women-empowerment-schemes-2024-in-haryana-like-ladhli-surakha-bhatta-yojana-along-with-many-schemes-23670108.html
- https://www.myscheme.gov.in/schemes/abhb
- https://navbharattimes.indiatimes.com/government-schemes/haryana-har-ghar-har-grihini-yojana#google_vignette
- https://lakhpatididi.gov.in/hi/state-wise-targets/
- https://rural.gov.in/en/press-release/details-total-number-women-who-have-benefited-lakhpati-didi-and-namo-didi-initiatives
- https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s34c144c47ecba6f8318128703ca9e2601/uploads/2024/11/20241125278546250.pdf
- https://www.hwdcl.org/matrushakti.php
- https://bshb.in/haryana-mahila-samridhi-yojana/
- https://socialjusticehry.gov.in/pension-to-widows-and-destitute-women/